राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4354/2024

मो. यासिन अली खान

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा, जिला भीलवाडा।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सुवाणा, जिला भीलवाडा।
5. पीईईओ/प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भोली, सुवाणा, जिला भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता,

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपीलों पर सुनवाई की गई।
2. इस अधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या–2470/2024 में आदेश दिनांक 05.08.2024 पारित कर अपीलार्थी के विरूद्ध निलम्बन आदेश दिनांक 30.07.2024 की क्रियान्विति स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये थे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने अधिकरण के उक्त आदेश की पालना में पूर्ववर्ती स्थान पर दिनांक 06.08.2024 को कार्य ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी को कार्य ग्रहण करने पर भी अगस्त, 2024 से आज तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
3. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी को उसकी उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाए।
4. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)